

# कार्यालय

## वनमण्डल सीहोर

सीहोर-इंडिया मार्ग, सीहोर (म.प्र.) 466001

Mob-9424790850 E-mail :- dfot.sch@mp.gov.in

क्रमांक/मानचित्रकार/2023/ 9080

सीहोर दिनांक .१५/८/२०२३

प्रति,

कार्यपालन यंत्री,  
लोक निर्माण विभाग बुधनी, जिला सीहोर।

विषय:- सीहोर जिले में ग्राम खैरी से डोगलापानी व्हाया इूण्डलावा मार्ग निर्माण हेतु 4.410 हेक्टेयर वनभूमि लोक निर्माण विभाग संभाग बुधनी को उपयोग पर देने बावत्।

- संदर्भ:- 1. प्र.मु.व.सं.(भू-प्रबंध)सतपुड़ा भवन भोपाल का पत्र क्र./एफ-5/1195/2022/10-11/35 दि. 07.08.2023  
 2. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्र./6-MPB 047/2022-BHO दि. 31.07.2023

--००--

*T/S*  
*E.E.*  
*AM 15/8/2023*

विषयांकित संदर्भ में लेख है कि आपके द्वारा वनमण्डल सीहोर, परिक्षेत्र लाडकुई के अंतर्गत ग्राम खैरी से डोगलापानी व्हाया इूण्डलावा मार्ग निर्माण हेतु 4.410 हेक्टेयर वनभूमि पर वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत निर्माण की अनुमति के संबंध में भारत सरकार एवं पर्यावरण मंत्रालय भोपाल के संदर्भित पत्र-2 से सशर्त प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई जिसके तारतम्य में निम्नलिखित बिन्दुओं की पूर्ति आपके कार्यालय के द्वारा किया जाना

होने वाली वनभूमि का वर्तमान कुल मूल्य (NPV) की राशि का निर्धारण किया गया है विषयांकित परियोजना से संबंधित परिक्षेत्र लाडकुई के कक्ष क्रमांक RF360, RF363, RF364, RF365 रकबा 4.410 हेक्टेयर में वनों की इको वैल्यू ऊष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्याप्ती वन तथा वनों का घनत्व 0.5 है, अतः NPV की राशि 12,28,590/- प्रति हेक्टेयर की राशि 54,18,082/- शब्दों में (चौबीस लाख अट्ठारह हजार बयासी रुपये मात्र) देय होगी।

- भारत सरकार के संदर्भित पत्र-2 के बिन्दु क्रमांक-A(4) के अनुसार 4.410 हेक्टेयर वनभूमि उपयोग पर देने हेतु (NPV) की राशि जमा करने के संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्र./5-3/2011-FC(Vol-I) दि. 06.01.2022 वनों से प्रकार व घनत्व की आधार पर अनुसार व्यपवर्तित होने वाली वनभूमि का वर्तमान कुल मूल्य (NPV) की राशि का निर्धारण किया गया है विषयांकित परियोजना से संबंधित परिक्षेत्र लाडकुई के कक्ष क्रमांक RF360, RF363, RF364, RF365 रकबा 4.410 हेक्टेयर में वनों की इको वैल्यू ऊष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्याप्ती वन तथा वनों का घनत्व 0.5 है, अतः NPV की राशि 12,28,590/- प्रति हेक्टेयर की राशि 54,18,082/- शब्दों में (चौबीस लाख अट्ठारह हजार बयासी रुपये मात्र) देय होगी।
- बिंदु क्रमांक A(1) अनुसार ग्राम पचौर तहसील नसरुल्लागंज के खसरा क्रमांक-7 की हस्तांतरित कुल 13.300 हेक्टेयर प्राप्त गैर-वनभूमि पर वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु कुल राशि 70,16,000/- शब्दों में(सत्तर लाख सोलह हजार रुपये) राशि देय होगी।
- NPV तथा वृक्षारोपण की राशि का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है।

क्र	मद	रकबा (हेक्टे.)	घनत्व	इको वैल्यू क्लास- 3	राशि	रिमार्क (यदि कोई हो तो)
1	नेट प्रजेष्ट वैल्यू	4.410	0.5	इको क्लास- 3	54,18,082/-	12,28,590/- प्रति हेक्टे.
2	वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि	13.300	-	-	70,16,000/-	प्रस्ताव ग्राम नयापुरा से सनकोटा (4.200 हेक्टे.) तथा ग्राम सनकोटा से सिराड़ी (4.600 हेक्टे.) एवं ग्राम खैरी से डोगलापानी व्हाया इूण्डलावा (4.410 हेक्टे.) कुल रकबा 13.300 हेक्टेयर प्रभावित वनभूमि के बदले 13.300 हेक्टे गैर-वनभूमि हस्तांतरित की गई। अतः 70,16,000/- राशि उक्त तीनों प्रकरणों की एकजाई राशि है।
	महारोग				1,24,34,082/-	

NPV की राशि 54,18,082/- तथा वृक्षारोपण की राशि 70,16,000/- कुल 1,24,34,082/- का भुगतान वेबसाइट ([www.parivesh.nic.in](http://www.parivesh.nic.in)) पर जाकर केम्पा मद में जमा कराना सुनिश्चित कर चालान की प्रति इस कार्यालय में उपलब्ध कराये।

4. बिन्दु क्रमांक B(3) के अनुसार "Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert committee, shall be charged by the state Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect."
5. बिन्दु क्रमांक- A(6) के पालन में वन अधिकार अधिनियम के तहत कलेक्टर सीहोर का प्रमाण पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय को प्रेषित करें।
6. बिन्दु क्रमांक- B(4) के पालन में सागैन-204 वृक्ष एवं अन्य 153 वृक्ष कुल 357 वृक्षों के विवेहन व्यय की कुल राशि 2,27,164/-शब्दों में (दो लाख सताईस हजार एक सौ चौसठ रुपये मात्र) देय होगी। उक्त राशि का ऑनलाईन [www.mptreasury.org](http://www.mptreasury.org) की वेबसाईट के माध्यम से जमा कर चालान की प्रति इस कार्यालय में जमा करावे।
7. बिन्दु क्रमांक- A(12) के पालन में भारत सरकार द्वारा जारी प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन वेब पोर्टल पर अपलोड करावे तथा 02 प्रति में इस कार्यालय को उपलब्ध करावे।

प्रकरण में भारत सरकार के संदर्भित पत्र-2 से उपरोक्त प्रकरण में प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई है। अतः संदर्भित पत्र द्वारा अधिरोपित शर्तों की पूर्ति उपरांत ही प्रस्ताव में औपचारिक स्वीकृति की कार्यवाही की जा सकेगी, औपचारिक स्वीकृति जारी होने के पश्चात ही कार्य करने की अनुमति प्राप्त होगी।

संलग्न:- संदर्भित पत्र की छायाप्रति।

एम.एस.डवर  
वनमण्डलाधिकारी

सामान्य वनमण्डल सीहोर

सीहोर, दिनांक /५./५./2023

पृ.क्रमांक/मानचित्रकार/2023/ ९०८।

प्रतिलिपि:-

1. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र., वन भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. वनसंरक्षक भोपाल वृत्त भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
3. कलेक्टर, जिला सीहोर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. उपवनमण्डलाधिकारी बुधनी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. वन परिक्षेत्राधिकारी लाडकुई की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। प्रकरण में लेख है की भारत सरकार एवं पर्यावरण मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल द्वारा प्रस्ताव में सर्वत्र प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई है। अतः आवेदक विभाग को औपचारिक स्वीकृति के पूर्व वनक्षेत्र में कार्य न करने दिया जाने।

वनमण्डलाधिकारी  
सामान्य वनमण्डल सीहोर